भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2794
उत्तर देने की तारीख 20 दिसम्बर, 2023

भारतनेट परियोजना में प्रगति

2794. कुमारी गोड्डेति माधवी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतनेट परियोजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और समय-सीमा क्या है और इसमें अब तक क्या प्रगति की गई है;

(ख) सरकार द्वारा भारतनेट परियोजना के अंतर्गत प्रगति में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी-निजी-भागीदारी (पीपीपी) पद्धति से भारतनेट के कार्यान्वयन के लिए कोई बोली प्राप्त करने में विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या सरकार ने सरकारी-निजी-भागीदारी के तहत और अधिक निविदाएं आकर्षित करने के लिए कोई सुधारात्मक कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (च) भारतनेट परियोजना की घोषणा वर्ष 2011 में की गई थी, हालांकि वास्तविक रोल आउट वर्ष 2014 में शुरू किया गया। पिछले दस वर्षों के दौरान 2.07 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। भारतनेट के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए पीपीपी मॉडल के अंतर्गत वर्ष 2021 में निविदा जारी की गई थी जिसके लिए कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। अब सरकार ने भारतनेट कार्यक्रम में संशोधन किया है जो इस प्रकार है:

(i) मौजूदा भारतनेट नेटवर्क का उन्नयन करना।

(ii) भारतनेट उद्यमियों यानी ग्राम स्तर के उद्यमियों के माध्यम से नेटवर्क के उपयोग पर ध्यान केन्द्रित करना।

(iii) पूरे नेटवर्क का प्रचालन और अनुरक्षण करना।

(iv) समर्पित नेटवर्क प्रचालन केंद्र।

(v) बसे हुए सभी गांवों को जोड़ने के लिए कार्यक्षेत्र का विस्तार करना।

(vi) 1.5 करोड़ होम फाइबर कनेक्शन प्रदान करना।

*****